शोध मंथन, Impact Factor 6.726 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X,
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com/* https://doi.org/10.31995/shodhmanthan

किशोरों में बढ़ता मद्यपान तथा मादक पदार्थों का सेवन एक चिन्ताजनक विषय

सोनिया शर्मा
शोध छात्रा, पेसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एजूकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी उदयपुर
Email: divyasha.dubey@gmail.com

सारांश

पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो मद्यपान तथा मादक पदार्थों को इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। खास तौर से स्कूलों तथा कॉलेजों के छात्रों (किशोर.किशोरियों) में यह लत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है जो उनके शरीर तथा मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव ड़ालती है और अपराध करने के लिए भी प्रेरित करती हैं। सरकार द्वारा इन्हें रोकने के लिए कई कानून बनाये गये हैं लेकिन इसके बावजूद इसका व्यापार खूब खुलेआम चल रहा है। इसके लिए सरकार को और सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए ताकि इसकी बिक्री पर रोक लगाई जा सके। माता.पिता, अभिभावकों, अध्यापकों तथा समाज का भी योगदान आवष्यक है।

मुख्य शब्द– *मद्यपान, मादक पदार्थ, किशोर अपराध, NDPS Act,*

प्रस्तावना

आज के मौजूदा समय में मद्यपान तथा मादक पदार्थों के सेवन की समस्या अपनी चरम सीमा पर है। सारा विश्व इस समस्या को लेकर चिंतित है। सरकार ने इसे लेकर काफी सख्त कानून और नियम बनायें हैं लेकिन इसके बावजूद यह लत एक जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। मद्यपान तथा मादक पदार्थों का सेवन शनैः – शनैः किशोरों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है एक बार इसकी लत होने पर वे इसके आदी हो जाते हैं और वे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं जैसे – चोरी, अपहरण, बलात्कार मारपीट, लूट, हत्या तथा ड़कैती इत्यादि इसलिए इसका सम्बन्ध किशोर अपराध से भी है। कितने ही रोज़ अनगिनत अपराध हम अखबारों में पढ़ते हैं जो कि किशोरों द्वारा किये जाते हैं जिसे पढ़कर लगता है कि हमारे देश के किशोरों का भविष्य क्या होगा। इतना ही नहीं आजकल किशोरियों में भी मादक पदार्थों की लत देखने को मिल रही है। विवाहित और गृहस्थ जीवन की महिलाओं में भी यह प्रवृत्ति बढ़ रही है। अधिकांश सड़क दुर्घटनायें नशे का कारण बनती हैं। नशे की हालत में गाड़ी चलाना अपराध है और खतरनाक भी है।

अधिकतर पार्टियों में किशोर–किशोरियों को मद्यपान तथा मादक पदार्थों का सेवन करते देखा गया है। अभी कुछ दिन पहले ही 200 लड़के–लड़कियों को ग्रेटर नोएड़ा में पुलिस ने पकड़ा जो बड़े–बड़े घरों से शामिल थे। ये सब मादक पदार्थों को सेवन करते पाये गये।

स्कूल तथा कॉलेजों में छात्रों में इस लत को पाया गया है जो कि बढ़ती ही जा रही है और जो शरीर तथा मस्तिश्क के लिए हानिकारक है जिसे रोकना अत्यन्त आवश्यक है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि व्यसनी (Drug Addict) कौन होता है –

स्वापक औषधियाँ और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (The Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act, 1985) की परिभाषा में कहा गया है कि – एक व्यक्ति जो स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों के सेवन का आदी हो चुका हो। (A person who has dependence or any narcotic drug or psychotropic substance)

किशोरों के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि ''जो भी बालक किसी प्रकार का नशा या मादक पदार्थों का नशा करता है वह मादक पदार्थों का व्यसनी कहा जा सकता है''। यहाँ कुछ मादक पदार्थों को शामिल किया गया है –

मादक पदार्थ

गाँजा, कोको पत्री, भांग, कोकीन, अफीम, छोने के पौधों का रस, चरस, मेथाड्रीन शराब, मार्फिन इत्यादि। इसके अलावा और बहुत से मादक पदार्थ है जो बाजार में आसानी से चोरी छिपे उपलब्ध हो जाते हैं।

अन्य नशीले तथा मादक पदार्थों का सेवन तथा इसके प्रकार है जैसे – खाँसी का सीरप, बाम, वाइटनर, दर्द निवारक ट्यूब, गोंद, पेंटस, गैसोलीन (पैट्रोल एवं घासलेट), गीले कार्बन पेपर, फाइबर मैटिंग का घोल और टूथपेस्ट, गुल मंजन इत्यादि।

नशीले तथा मादक पदार्थों का इस्तेमाल का तरीका इस प्रकार है जैसे – पीना, सूँघना, चबाना, निगलना, श्वास नली द्वारा लेना तथा इंजेक्शन द्वारा लेना इत्यादि।

ये सब नशीले पदार्थ इस प्रकार के हैं जिनके सेवन करने से बालकों के शरीर तथा मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उनकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने लगती है तथा एच0 आई0 वी0, एड्स जैसे खतरनाक बीमारियाँ भी हो जाती हैं। इसके कारणों को जानना भी अति आवश्यक है जो इस प्रकार है –

कारण

किशोरों में मद्यपान तथा मादक पदार्थों के सेवन के अनेक कारण हो सकते है –

1. बदलते हुए समय को देखने से लगता है कि आज के किशोर अपने माता–पिता के नियंत्रण से बाहर है। माता–पिता को अधिकतर समय घर के बाहर काम करना पड़ता है इस कारण वे बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते और बच्चे बुरी आदतों व नशे के आदी हो जाते हैं क्योंकि वे अपने आपको अकेला महसूस करने लगते हैं।
2. मद्यपान तथा मादक पदार्थों का सेवन आजकल एक फैशन बन गया है। घर से बाहर बुरी संगत या आवारा दोस्तों की संगत में फँसकर वे नशा करना सीख जाते हैं और शराब भी पीने लगते हैं।

3. अधिकतर घरों में देखा गया है कि माता–पिता में आपसी क्लेश रहता है। शराब पीकर मारपीट, गाली गलौच करना, बच्चों के साथ मारपीट करना, इन सबको बालक जब देखता है तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और वह घर के बाहर दोस्तो में अपना सहारा ढूँढ़ता है और नशा करने लगता है।

4. बच्चों को हम गलती करने पर डाँट देते है, मारते भी हैं लेकिन क्या हमने कभी इस बात पर भी गौर किया है कि आवश्यकता से अधिक लाड़–प्यार भी बच्चों के लिए नुकसान दायक साबित होता है। बच्चों की हर हर छोटी, बड़ी इच्छाओं को पूरा करना, अत्याधिक पैसा देना, मँहगें फोन देना गाडियाँ इत्यादि देना आवश्यकता से अधिक वस्तुओं के मिल जाने से बच्चे बिगड़ जाते है। उनकी इच्छा पूरी करें लेकिन उतना जितना आवश्यक हो। अपने आस–पास जब बच्चा इन सब वस्तुओं को देखता है तो उसकी सोच और समझ भी उसी तरह की हो जाती है। ये सब चीजें न मिलने पर उन्हें परेशानी होने लगती है जैसे कि पैसा न मिलने पर वे चारी करने लगते है और मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं।

5. चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो अनेकों प्रकार की दवाईयों का उत्पादन कई प्रकार की बिमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है लेकिन कुछ दवाईयाँ ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल बच्चे नशे के लिए करते हैं।

अवैध स्वापक औषधियों का व्यापार एक गम्भीर समस्या है। इस व्यापार में लोग कई तरह के गलत काम करते हैं और कानूनों का उल्लंघन कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन स्वापक औषधियों को पहुँचाते है जिससे उन्हें काफी लाभ प्राप्त होता है। इन औषधियों का व्यापार इन्टरनेट के जरिए भी किया जाता है।

राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मादक पदार्थों के सेवन एक मादक औषधियों के दुरूपयोग के कारण उत्पन्न विपन्नता और अपराधों की बढ़ती संख्या को देखकर विश्व देशों की सरकारें यह अनुभव करने लगी है कि मादक वस्तुओं के विक्रय पर कानूनी रोक लगाना अति आवष्यक हो गया है।[1]

नशीली एवं स्वापक औषधियों तथा मादक पदार्थों की बढ़ती हुई लत को ध्यान में रखते हुए भारतीय संसद ने स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act) पारित किया जिसके फलस्वरूप पूर्ववर्ती अफीम अधिनियम, 1878 तथा खतरनाक औशधि अधिनियम, 1930 (Dangerous Drugs Act, 1930) निरसित हो गए।

स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 जम्मू–कश्मीर क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू है। इस अधिनियम की धारा 27 से 32 में दण्डित उपबन्ध दिये गये है। अधिनियम की धारा–क[2] के अनुसार ऐसा अपराधी जो स्वापक औषधि का व्यसनी है या इसके अवैध व्यापार में लिप्त है, न्यूनतम 10 वर्ष के कठोर कारावास जो 20 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है एवं न्यूनतम एक लाख तथा अधिकतम दो लाख रूपये से दण्डित किया जा सकता है।

दिल्ली में हर साल ड्रग्स की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 2016 में एनसीपीसी एक्ट के तहत 289 मुकदमें दर्ज कर 370 मुलजिमों को

गिरफ्तार किया गया जबकि 2017 में मुकदमों की यह संख्या बढ़कर 362 हो गई और इन एफआईआर में 491 ड्रग्स सप्लायर को पकड़ा गया। पिछले साल ड्रग्स के विभिन्न मामलों में 493 मुकदमें दर्ज कर 662 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह अभी तक का रिकार्ड बताया जाता है।

इन्हीं तीनों सालों में बरामद की गई हेरोइन और स्मैक की बात की जाए, तो 2016 में 24 किलो 638 ग्राम, 2017 में 51 किलो 580 ग्राम और 2018 में 196 किलो 747 ग्राम हेरोइन जब्त की गई। चरस की यह मात्रा प्रति साल 29 किलो 544 ग्राम, 58 किलो 453 ग्राम और 14 किलो 170 ग्राम रही। इसी तरह 2016 में अफीम की बरामदगी 201 किलो 881 ग्राम, 2017 में 19 किलो 650 ग्राम और 2018 में 53 किलो 700 ग्राम रही।[3]

जबकि कोकीन एक किलो 142 ग्राम, एक किलो 483 ग्राम और 2018 में एक किलो 197 ग्राम जब्त की गई। आंकड़ों से स्पष्ट है कि दिल्ली में हेरोइन की मांग ज्यादा है इसके साथ–साथ साउथ दिल्ली कनॉट प्लेस, वेस्ट दिल्ली और नार्थ दिल्ली में भी पब्स, बार और हॉस्टलों में इसकी माँग अधिक है। ड्रग्स के मामले में एक म्याऊँ.म्याऊँ पार्टी के एक बड़े गैंग का पता चला है।

दिल्ली में इन नशीली दवाओं को बेचने के लिए 8 साल से 14 साल तक के बालकों को तैयार किया जाता है। इसे बेचने के लिए 300 से 400 रूपये दिये जाते हैं।

पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्टरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट को ध्वस्त कर 25 करोड़ से ज्यादा की 'म्याऊँ.म्याऊँ' पार्टी ड्रग पकडी है। स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव यादव के मुताबिक यह ड्रग्स ज्यादतर खाड़ी देशों में इस्तेमाल होती है। यह ड्रग्स अब दिल्ली और मुंबई की पार्टियों में इस्तेमाल होने लगी हैं। मेफेड्रोन नाम का एक पाउडर है जिसकी नशे की दुनिया में माँग ज्यादा है।[4]

दिल्ली में ही ड्रग्स के खिलाफ नाइकोटिक्स कट्रोल ब्यूरो की दिल्ली जोनल यूनिट ने एक ड्रग्स बनाने वाली एक गुप्त फैक्ट्री से 1800 किलो नशीले पदार्थ जब्त किये है। इसमे 1800 किलो स्युडोफेड्रिन और 2 किलो कोकीन जब्त की गई है।[5]

पूर्वी दिल्ली नगर निगम की ओर से सीमापुरी, त्रिलोकपुरी, नन्द नगरी, जाफराबाद, कल्याणपुरी और कोण्डली जैसे क्षेत्रों में एक सर्वे हुआ जिसमें 80 बाल मनोवैज्ञानिक सह परामर्शदाताओं की टीम ने सर्वे किया। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में 8 से 11 वर्श के बच्चे शराब, तम्बाकू तथा सीरिंज से नशीला पदार्थ की लत के आदी पाये गये। इस सर्वे में यह पाया गया कि कैसे नशे के सौदागर खुलेआम नियमों का उल्लंघन करते हुए बच्चों को नशे का आदी बना रहे हैं। जुलाई 2018 से इस वर्ष मार्च माह के बीच हुए इस सर्वे को अब वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

रिपोर्ट में पाया गया कि 368 स्कूलो के 75037 छात्रों में से 12627 करीब 16.8 फीसदी बच्चे नशीले पदार्थों का प्रयोग करते मिले। इसमें से 8,182 छात्र सुपारी के साथ अफीम मिलाकर

सेवन करते पाए गए। वहीं, 2,613 छात्र तंबाकू का सेवन करते मिले। 1,410 छात्र बीड़ी और सिगरेट पीते पाए गए। इसके अलावा 231 शराब (मद्यपान) का तथा 191 फ्लूड, पैट्रोल और सुलोचन (एक औद्योगिक गोंद) और सीरिंज से नशा करते पाये गये। सर्वे टीम का नेतृत्व करने वाले पूर्वी निगम के 'डिप्टी हेल्थ आफिसर डॉ. अजय लेखी' ने कहा कि सर्वे के दौरान हमने कई चिन्ताजनक चीजें देखी। इसमें काफी मात्रा में खून से सनी सुइयाँ, एंटीएलर्जिक दवा एविल की शीशियाँ और गोलियाँ, मेफेनटाइन दवा की बच्चों के बैग और स्कूल परिसर में उपस्थिति चौकाने वाली थी।

नशामुक्ति की दिशा में काम करने के बारे में उन्होंने कहा कि एविल और मेफेनटाइन जैसी दवाएँ बिना चिकित्सकीय परामर्श एवं अनुमति के नहीं बेची जा सकती है। लेकिन बेईमान केमिस्ट अपने लालच में 5 से 25 रुपये में इसे बच्चों को बेच देते हैं जो इन्हें नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे बच्चे नशे के आदि बन रहे हैं।

पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त 'जसमीत सिंह' ने कहा कि वे समस्या का समाधान करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके लिए वह ए.सी.पी. और एस.एच.ओ. के साथ बैठकें कर रहे हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी संदिग्ध तत्व स्कूलों के आसपास न भटके और बच्चे केमिस्ट की दुकानों के आसपास न नजर आएं। इसके साथ ही हम पार्की और ऐसे स्थानों की पहचान कर रहे हैं जहाँ नशे के सौदागर एकत्र होते हैं। उन्होंने कहा कि मादक द्रव्यों में सेवन पर अंकुश लगाने से शहर की अपराध दर में भारी गिरावट आ सकती है।[6]

भारत सरकार द्वारा अनेकों कानून पारित करके नशीली औषधियों तथा पदार्थों के अवैध व्यापार पर रोक लगाई है। इन कानूनों के प्रवर्तन से सम्बन्धित प्रमुख प्राधिकारी चुंगी तथा आबकारी विभाग, स्वापक आयुक्त (Narcotics Commissiner), केन्द्रिय जाँच ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल तथा औषधि नियन्त्रक आदि हैं। राज्य स्तर पर यह कार्य आबकारी विभाग, पुलिस तथा औषधि नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

अन्त में यही कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा इतने कानून बनाये जाने के बाद भी नशीले तथा मादक पदार्थों का अवैध व्यापार खूब घड़ल्ले से चल रहा है, कितने ही इस व्यापार के लिए नये नये तरीकों को अपनाया जाता है, कितनी हत्यायें हो रही है। किशोरों में इनकी लत दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जो शरीर तथा मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालती है। एक बार इन मादक पदार्थों की लत लग जाये तो इससे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है।

मैंने अपने शोध के दौरान कुछ किषोरों का व्यक्तिक अध्ययन किया जो कि दिल्ली शहर के सम्प्रेक्षण गृह तथा बाल–गृह में किसी न किसी अपराध में लिप्त थे जैसे – चोरी, मारपीट, हत्या, बलात्कार, छीना झपटी, अपहरण इत्यादि और यह पाया गया कि इन किशोरों में मद्यपान तथा मादक पदार्थों का सेवन करने की लत थी जो कि शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इन सबका अपराध के साथ बड़ा गहरा सम्बन्ध होता है जो कि बाल–अपराध को अंजाम देते हैं।

व्यक्तिक अध्ययन (Case Study)

व्यक्तिक अध्ययन सं. 1 –

राजू (परिवर्तित नाम) की उम्र 15 वर्ष की है। इसके पिता रिक्शा चलाते है और माता सिलाई का काम करती है। यह गरीब परिवार से है। राजू ने चौथी कक्षा तक पढ़ाई की। माता–पिता से संबंध ठीक नहीं था। इसे हत्या के जुर्म में संप्रेक्षण गृह में लाया गया था जो इसने खुद किया था। पड़ोस का वातावरण ठीक नहीं था। राजू को मारधाड़ वाली फिल्में देखने का शौक था। इसके दोस्तों की संगति अच्छी नहीं थी। इसे गांजा पीने की लत थी। इसके दोस्तों की उम्र 17 से 18 वर्श की थी। राजू को गुस्सा बहुत ही जल्दी आ जाता था। इस अध्ययन में यही पाया गया कि बहुत कुछ प्रभाव फिल्मों का और कुसंगति का किषोरों पर पड़ता है। आजकल फिल्मों में मादक पदार्थों का सेवन करते दिखाया जाता है जिसका बुरा प्रभाव किशोरों पर पड़ता है और वे नशा जैसे मद्यपान तथा मादक पदार्थों को लेने के आदी हो जाते हैं।

व्यक्तिक अध्ययन सं. 2 –

आषु (परिवर्तित नाम) की उम्र 10 वर्ष की है। फोन चोरी के जुर्म में सम्प्रेक्षण गृह में इसे लाया गया यह दूसरी कक्षा तक पढ़ा है। पिता गुब्बारे का काम करते हैं। माँ बर्तन माँजने का काम करती है। आशु का परिवार बहुत गरीब है। इसकी संगति भी अच्छी नहीं थी। दोस्तों के कहने पर मोबाइल चोरी किया। घर के पड़ोस का बातावरण भी खराब है। इसके दोस्त हूक्का पीते हैं और आशु भी सुपारी, गुटका खाता है।

व्यक्तिक अध्ययन सं. 3 –

मोहन (परिवर्तित नाम) की उम्र 16 वर्ष की है। इसने दसवीं कक्षा तक पढ़ाई की है। पिता पोस्ट आफिस में काम करते हैं। माता घर पर ही रहती है। मोहन को हत्या के जुर्म में संप्रेक्षण गृह में लाया गया। इस हत्या में उसके दोस्त भी शामिल थे। मोहन और उसके दोस्तों को मद्यपान तथा मादक पदार्थों का सेवन करने की लत थी। मेरे पूछने पर मोहन ने बताया कि यह हत्या उसने पैसा हासिल करने की वजह से की।

व्यक्तिक अध्ययन सं. 4 –

नरेन्द्र (परिवर्तित नाम) की उम्र 17 वर्ष की है। यह नेपाल का रहने वाला है। यह चपरासी का काम करता था। शिक्षा चौथी कक्षा तक हुई। पिता गार्ड की नौकरी करते है व माता घर का काम देखती है। यह कई बार जेल जा चुका है। इसके दोस्तों की उम्र 17–18 वर्ष हैं जो कि ड्रग्स लेने के आदी हैं। इसे हत्या के प्रयास में दिल्ली के स्पेशल होम में रखा गया है। नरेन्द्र की ड्रग्स लेने की लत थी लेकिन अब वह ड्रग्स नहीं ले पाता। जब मैंने पूछा कि अब ड्रग्स न लेने पर कैसा महसूस करते हो तो उसने कहा कि अब वह पहले से अच्छा महसूस करता है और अब वह ड्रग्स नहीं लेना चाहता।

निष्कर्ष

इसलिए यह एक विश्वव्यापी समस्या है। इसका समाधान विभिन्न राष्ट्रों के सहयोग से किया जा सकता है। इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर और प्रयास करने की आवश्यकता है।

लोगों को इस नशे के लिए जागरूक करना होगा। इसका शरीर पर कितना बुरा प्रभाव पडता है यह बताना होगा। अवैध व्यापार तथा इसकी ब्रिकी पर रोक लगानी होगी। खास तौर पर स्कूलों और कॉलेजों पर ध्यान देना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में नशे के विरूद्ध गोष्ठियाँ की जानी चाहिए तथा छात्रों को मादक पदार्थों के बारे में बताया जाना चाहिए कि उसके कितने बुरे प्रभाव शरीर पर पडते है, इसके साथ–साथ अभिभावकों तथा माता–पिता को भी सचेत रहने की आवश्यकता है। उन्हें बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि वे कहाँ जाते हैं, क्या करते है, किससे मिलते हैं। स्कूलों तथा कॉलेजों में निगरानी रखी जानी चाहिए। अध्यापकों को भी सजग रहने की आवष्यकता है। किसी भी तरह का बच्चों पर मादक पदार्थों के सेवन का शक हो या कोई गतिविधि ऐसी हो तो माता–पिता को बताना सबसे पहले आवश्यक है। इस प्रकार अध्यापकों, अभिभावकों, समाज तथा सरकार के सहयोग से किषोरों में बढ़ते मद्यपान तथा मादक पदार्थों के सेवन पर काबू पाया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. *अपराध एवं बाल–अपराध की राष्ट्रीय परिषद की रिपोर्ट 1983 (A Report of National Council on crime and Delinquency U.S.A. 1983)*
2. *धारा 27– क सन् 1989 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई तथा इसे दिनांक 29 मई, 1989 से लागू किया गया।*
3. *Nav Bharat times. Indiatimes .... नवभारत टाइम्स / Updated Jan. 22, 2019*
4. *https://Khabar.ndtv.com, August 02, 2016*
5. *hindi.indiatvnew.com, 11 May 2019*
6. *हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, गुरुवार, 27 जून, 2019 पृ.सं.* 06